कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश
17. अरेखा हिला, गोपाल
dिनांक 21.01.2011

विषय -- 25 जनवरी 2011 राष्ट्रीय मतदाता विवाद की साप्ताह के संबंध में।

महोदय,

भारत निर्वाचन आयोग के स्पष्ट दिवस 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता विवाद के रूप में मगधाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करेंगे हेने लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना है। भारत निर्वाचन आयोग आज के बदले इस परिदृश्य में मगधाया को भारतीय चुनाव एवं निर्वाचन पद्धति से अद्यतन करके लोकतंत्र को मजबूत करने की अपेक्षा करेगा।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे भारत वर्ष में राज्य सत्र, जिला सत्र एवं प्रदेश मतदाता केन्द्र पर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता विवाद नगरण के निर्देश दिए हैं तथा सभी यह दिलाई जाएगी। मतदाताओं को जागरूक करने की दृष्टि से निकले, यात्रियों एवं लोगों प्रतिवादियों का महत्व भी किया गया है, जिसके लिए तत्त्वज्ञान प्राधिकृत द्वारा भी तत्त्वज्ञान प्रतिवादियों को नगद दुर्गमकर एवं सुरक्षित पद दिया जायega। समाचार पत्रों का महत्त्व से भी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जा रहा है। सूचना, आकाशवाणी एवं एफआई बैठक के माध्यम से सभी प्रचार-प्रसार एवं कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विशेष तौर पर पुनः मतदाताओं का लोकतंत्र की ओर साजिश में कभी को दुर्भिक्षित नहीं हैं राष्ट्रीय मतदाता विवाद पर सरकारी समयसे प्रतिक्रिया सर्वथा विवाद में प्रकट किया मतदाता सुरू है। मुश्किल मतदाताओं को पहले पत्र उपलब्ध करते हैं।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह भी कहा गया है कि सभी निर्देशण पर उनके अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय एवं राष्ट्रपंचायत संस्थाओं में आयोग द्वारा निर्देशित शाखा (स्तंभ) दिलाई जाये ताकि युवा जागरूक होकर मतदाता सुरू हैं। यह दर्शन करके लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भागीदारी प्रदर्शित कर सकें।

कुप्रया अनुशोषा है कि उल्लास निर्देशन का शासन सुनिश्चित करने हेतु अपने सर्व संबंधितों को सुनिश्चित करें ताकि 16 अप्रेल 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता विवाद के दिन शासन दिलाई जा सके।

मददी

(आ.एस.वर्मा श्री, पाटिल)
संयुक्त गुजरात निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश

पृष्ठिक रीतीः एक/प्रत्येक/स्थाय/2011/403

dिनांक 24-1-2011

1. सभी निवासी /निवासी /समन्वयक अयोगसंिद्धांश, जीवनी विश्वविद्यालय की ओर इस आयोग के साथ प्रेषित है कि, वे अपने इतिहास कार्यालय में छात्र-छात्राओं को उपयुक्त पत्र के संदर्भ में दिनांक 25 जनवरी 2011 को प्रतार 11:00 बजे स्वश दिलाने की कार्ययापन रीतिरूप स्थापित करें।

2. सभी अधिकारी, जीवनी विश्वविद्यालय, व्यवस्थापक की ओर इस आयोग के साथ प्रेषित है कि, वे अपने इतिहास कार्यालय में सभी कर्मचारियों को निर्देशित करें ताकि, वे दिनांक 25 जनवरी 2011 को प्रतार 11:00 बजे प्राप्त पत्र के साथ स्वश उपलब्ध कराने हेतु दिलाना हो।

3. विश्वविद्यालय से समविद्यालय प्रशासन भाग महाविद्यालयों की ओर आयोग कार्ययापन हेतु प्रेषित।

4. कुलसिविद्यालय में अनुमति, जीवनी विश्वविद्यालय, व्यवस्थापक।

5. कुलसिविद्यालय के निजी सहयोगी, जीवनी विश्वविद्यालय, व्यवस्थापक।

संवर्तन -- शासन प्राप्त।

कुलसिविद्यालय
मतदाताओं द्वारा ली जाने वाली शपथ

“हम, भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरीबि को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्माण होकर, धर्म,वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।”